

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
65 / 2024

दायर दिनांक
07.05.2024

निर्णय दिनांक
30.05.2024

अनवान

1. उदेराम पुत्र छोगालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी अरनीया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. चम्पालाल पुत्र छोगा जाति जाट आयु वयस्क निवासी अरनीया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. नाराणी पत्नी चुन्नीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी अरनीया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. पारस पुत्री चुन्नीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी अरनीया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. रामेश्वरलाल पुत्र मिटुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी अरनीया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. लेहरूलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी अरनीया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. रतन पिता गुलाब जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. शान्तिलाल पिता गुलाब जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. शंकर पिता गुलाब जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. हिरालाल पिता देवजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. रामेश्वर पिता देवजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. पृथ्वीराज पिता देवजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. माधु पिता उदयराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. किशन पिता उदयराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री शान्तिलाल माली
एक तरफा



प्रार्थी
अप्रार्थीगण



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अरनीया पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 108 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 679, 680, 681 कुल किता 03 कुल रकबा 1.94 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 30.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजीयात जैरबहस के खातेदार काशतकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काशतकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा अरनीया पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 108 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 679, 680, 681 कुल किता 03 कुल रकबा 1.94 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन